


जिला कलेक्टर
अजमेर

प्रधान पत्र वितरित कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी के नोटिस पर प्रतिक्रिया रिपोर्ट है कि अप्रार्थी दूकान खाली करके बाहर चला गया। प्रयोक्ता सरकार द्वारा सुनवाई करने पर प्रयोक्ता सरकार को सूचना गया।

अतः प्रधान पत्र अन्तर्गत आवक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत कर जबाबदा 02 धरल एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजस्व कर देते प्रस्तुत किया गया है।

| NO. | S.R.NO. | CO. | T.W. | G.W. | N.W.GAS |
|--------|---------|------|------|------|---------|
| 020090 | | IOCL | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 151361 | | IOCL | 15.7 | 15.7 | 0 |



साक्षित सं प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.12.2025 को जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उर्स भेला के तहत धरल गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरुपयोग एवं गैस सिलेण्डरों को तहत जांच दल श्री असलम अली पुत्र श्री बराली अली असलम शाही शीरमाल दरगाह बाजार अजमेर पहुंचे। मौके पर 02 धरल एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी की अवलोकना होने के कारण धरल एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजस्व में जब्त किया गया। मौके पर श्री किशोर कुमार खीची पुत्र श्री बजरंग लाल कामिक मैसर्स खाना गैस एजेंसी अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर को विवरण निम्नानुसार पया गया।

दिनांक 11.03.2026

आदेश

उपस्थित: श्री रेणुका चण्डी, प्रवर्तन अधिकारी - प्रयोक्ता सरकार

प्रधान पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवक वस्तु अधिनियम 1955

अप्रार्थी.....

असलम शाही शीरमाल दरगाह बाजार अजमेर

श्री असलम अली पुत्र श्री बराली अली

बनाम

प्रार्थी.....

राजस्थान सरकार जयिध महेंद्र कुमार यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर।

रसद प्रदान पत्र संख्या 7/2026

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर, जिला अजमेर

(Handwritten signature)



जिला कलेक्टर, अजमेर
(लोक श्रेय)

27

इजलास सुनाया गया।

आदेश में द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.03.2026 को से पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।
सिलेक्टर को संबंधित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजस्वत किया जाता है। चूंकि उक्त किया जाता है तथा कब्जाज लिये गये जबरिया 02 धरेल एलपीजी सिलेक्टर, को 2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैध कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 30.10. उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पया गया। मौके पर धरेल गैस सिलेक्टर के का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेक्टर का व्यावसायिक इमन उपपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अपरध है। अतः जबरिया 02 धरेल एलपीजी सिलेक्टर को राजस्वत करमावे।
उल्लेखन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेक्टर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर सिलेक्टर पया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेक्टर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर सिलेक्टर का व्यावसायिक दृकपयोग किया जाना पया गया। मौके पर 02 धरेल एलपीजी दिनांक 08.12.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर धरेल गैस धरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि

Handwritten signature or initials at the bottom right corner.